न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 442 सन 2018
अनवान :–

1. पृथ्वीराज पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 283/237 के प0न0 117/16(717) के किला न0 24/0.2530 ,प0न0 118/9(739) के किला न0 4/0.2530 ,7/0.2530 ,13/0.2530 ,14 ता 16/0.759 ,17 ,18/0.506 ,22/1 की 0.2280हैक 23/1 की 0.2280हैक 24/1 की 0.2280 ,25/1 की 0.2270 ,प0न0 118/10(778) के किला न0 1/1 की 0.2270हैक 2 ता 4/0.759हैक 5/0.2530 ,8 ,9/0. 506, 6/0.2530 ,15/0.253हैक कुल 24 किता की 5.9200हैक भूमि जिसमें वादी 3/4 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 283/237की 5.9200हैक भूमि में नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी का नाम पृथ्वीराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम पृथ्वीराज है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड बैक पास बुक में दर्ज है एव सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी वादी का सही नाम पृथ्वीराज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को फायदा नही उठा पा रहा है अतः वादी का सही नाम पृथ्वीराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादी के वाद /नाम संशोधन के सम्बध में रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की राजस्व रिकार्ड में नाम सही तौर से दर्ज किया गया है नाम दुरूस्ती के सम्बध में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पडौसियों के ब्यान के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 283/237की 5.9200हैक में वादी का नाम पृथ्वीराम दर्ज किया गया है एव वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड बैक पास बुक में पृथ्वीराज दर्ज है एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी वादी का सही नाम पृथ्वीराज है एवं पेरोकार राज ने भी नाम संशोधन की अभिशषा की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/सरंपच ग्राम पंचायत की तस्दीक /वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 283/237की 5.9200हैक में वादी का नाम पृथ्वीराम के स्थान पर पृथ्वीराम उर्फ पृथ्वीराज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official